प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

105- केकड़ी (सामा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री शत्रुघन गौतम, सदर बाजार देवगांव, तह व जिला केकड़ी हाल नि. अहिंसा कॉलोनी, केकड़ी जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं। उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थानः- अजमेर दिनांकः- 03.12.2023



(विकास पंचोली) _{७3} । २०००९ रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र 105. केकड़ी (सामा.) उप खण्ड अधिकारी (खुदं उस खण्डा स्क्रिस्ट्रेट, केकड़ी

रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र केंकडी (105) (उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड बॅजिस्ट्रेट केंकडी)

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 105- Kekri Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that –

SHRI SHATRUGHAN GAUTAM, Sadar Bazar Devgaon, Teh And District Kekri Present Residance Ahinsa Colony, Kekri Sponsered by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER Date—03-12-2023

(Vikas Pancholi) 03/12/2003

Returning Officer

105- Kekri (Gen) Assembly Constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Ajmer)

(Sub Divisional Officer and A. L. KRK (105)